नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट : 25.11.2014
नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा) : 28.11.2014
नीलामी : 05.01.2015
रिपोर्ट 06.01.2015

6635
25/11/14

फार्म सख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

आर0सी0 सख्या: 98/2013 **आगामी तिथी** 06–01–2015

प्रकरण का उनवान:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम रतन मंजरी ज्वैलर्स व अन्य

विक्रय की उद्घोषणा

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण, कमरा सख्या 4, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान)
(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र सख्या 98/13 जो कि मूल आवेदन सख्या 172/2013 में दिनांक 31–10–2013 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध 53,28,156/– रूपये की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चो सहित वसूल किये जाने योग्य है।

तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धक सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

एवं यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 30/11/2013 तक ब्याज एवम् खर्चे सहित 57,47,251/–रूपये (रूपये सतावन लाख सैंतालीस हजार दो सौ इक्यावन) एवं भविष्य का ब्याज वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार बकाया होते है।

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति **श्री रामरख शर्मा, अधिवक्ता मोबाईल नंबर– 9414446348 के द्वारा** लोक नीलामी द्वारा दिनांक 05.01.2015 को प्रातः 10.30 **बजे** अनुसूचित स्थान पर विक्रय की जावेगी।

यह कि विक्रय उपरोक्त व्यतिक्रमी की सम्पत्ति जिसका नाम नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है का होगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं क्लेम जो अभिनिश्चत किये गये है वो प्रत्येक लॉट के सामने अनूसची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति "जहॉ है एवं जैसी स्थिति में है" के आधार पर विक्रय की जावेगी।

सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। अगर सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के सन्दर्भ में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय शुरू करने से पूर्व उक्त प्रमाण–पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को सौंपी जाती है या उसकी सन्तुष्टि हेतु प्रमाण–पत्र दिया जाता है कि उक्त प्रमाण–पत्र की राशि ब्याज व लागतो का भुगतान अधोहस्ताक्षरकर्ता को कर दिया गया है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय में आम जनता को सामान्यतः या तो स्वयं अथवा उसके किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में अपना कर्तव्य निवर्हन कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा अधिग्रहण में या अधिग्रहण के प्रयास में हिस्सा नही लेगा।

यह विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तो एवम् इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमो एवम् निम्नलिखित अन्य शर्तो के अध्यधीन होगा :–

1. संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ब्यौरा अधोहस्ताक्षरकर्ता की श्रेष्ट जानकारी के अनुसार लिखे गये है। लेकिन अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा में किसी भी गलत बयान, त्रुटि एवम् चूक के लिये जवाबदेह नही होगा।
2. सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रूपये 1.00 करोड (अक्षरे एक करोड रूपये) होगा जिससे कम मूल्य में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी।

Debts Recovery Tribunal,
JAIPUR

3. यह राशि जिसके द्वारा बोली को बढ़ाया जाना है, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा।

4. बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का वसूली अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा एवम् पैन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि पते का सबूत एवम् प्राधिकार-पत्र यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से नीलामी में भाग ले रहे हैं, प्रस्तुत करने होगे।

5. अगर उच्चतम बोलीदाता विधिक रूप से बोली लगाने के योग्य है एवम् उसके द्वारा लगायी गई आरक्षित दर से कम नही है जो उसे केता घोषित कर दिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को जब ऐसा लगता है कि मूल्य स्पष्ट रूप से सभी खर्चो की क्षतिपूर्ति के लिये अपर्याप्त है तो उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करना उसके विवेकाधीन होगा।

6. लिखित कारणो से विक्रय करने वाले अधिकारी को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानो के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार होगा।

7. अचल सम्पत्ति के मामले में यह व्यक्ति जिसे केता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरन्त बाद उसकी बोली की 25 प्रतिशत राशि उस अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है जमा करानी होगी और उक्त राशि जमा कराने में व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिये रख कर विक्रय की जायेगी। विक्रय की सम्पूर्ण राशि केता द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को नीलामी की तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करानी होगी जिसमें नीलामी का दिन या 15 वां दिन सम्मलित नही होगा। उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना होने पर, उक्त सम्पत्ति का पुनः विक्रय नई उद्घोषणा जारी करके किया जायेगा। उस स्थिति में व्यक्तिक्रम केता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता हो तो विक्रय के खर्चे समायोचित किये जाने के पश्चात जब्त सरकार कर ली जावेगी एवम् उस स्थिति में केता के उक्त सम्पत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग के संबंध प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेगे। सफल बोलीदाता को प्रथम एक हजार रूपये पर 02 प्रतिशत एवं उसके बाद शेष राशि पर 01 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान करना होगा।

सम्पत्ति का विवरण :

प्लॉट की संख्या	अन्य सहमालिका का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है।	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि समपत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निर्णित ऋणी संख्या 2 की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 136, मॉडल टाउन-ए, मालवीया नगर, जयपुर क्षेत्रफल – 182.44 वर्ग गज सीमायें – उत्तर – प्लाट नं. 97 दक्षिण – सडक 25 फुट चौडी पुर्व – प्लाट नं. 135 पश्चिम – प्लाट नं. 137	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक : 25.11.14 को जारी।

25.11.14

Recovery Officer-I
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर
DEBTS RECOVERY Tribunal,
JAIPUR

ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर (राज.)

Certified Copy Of. order dt 13/11/14
Description Of Documents)
Title Of The Case. BOM VS. Ratan Manjari Jewellers
Number And Year Of Case. ROV 98/13
Name Of The Court. DRT Jaipur

विवरण / आदेशिका, मु. नं....................

इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 98 / 2013
BOM VS. RATAN MANJARI JEWELLERS.

दिनांक 13.11.2014

Sh. B. C. Jain

प्रमाणपत्रधारी बैंक के अधिवक्ता श्री बी.सी.जैन उपस्थित। निर्णीत ऋणीं की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रमाणपत्रधारी बैंक के अधिवक्ता ने आज एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र श्री अनिल अग्रवाल, चीफ मैनेजर का प्रस्तुत कर तथा माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अपील सं. 11/2014 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2014 की छायाप्रति एनेक्चर "ए" के रूप में संलग्न करते हुये कथन किया कि निर्णित ऋणीं संख्या 2 की बंधकशुदा सम्पत्ति की नीलामी को ई–ऑक्शन के स्थान पर पूर्व में प्रचलित विधि द्वारा नीलामीकर्ता अधिवक्ता नियुक्त कर ही नीलाम कराने के आदेश दिये जावे तथा निवेदन किया कि नीलामी सफल होने के लिये सम्पत्ति की मौके पर बोली लगवाया जाना न्यायोचित होगा। माननीय पी.ओ. साहब के आदेश का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। आदेशानुसार माननीय पी.ओ. साहब द्वारा बंधक सम्पत्ति की नीलामी करने से नहीं रोका गया है बल्कि नीलामी से प्राप्त विकय धनराशि में खर्चो को समायोजित करने के बाद अवशिष्ट धनराशि को अपील के निस्तारण तक रखने को कहा गया है।

अतः उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में एवं बैंक की बकाया राशि एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है और निर्णीत ऋणीं संख्या 2 की निम्नलिखित बंधकशुदा सम्पत्ति को जरिये नीलामीकर्ता अधिवक्ता मौके पर ही नीलाम किए जाने का आदेश दिया जाता है:–

<u>निर्णित ऋणीं संख्या–2 की सम्पत्ति–</u>

Plot No. 136, Model Town-A, Near Malviya Nagar, Jaipur.

<u>Boundaries-</u>
North- Plot No. 97,
East- Plot No. 135 and
South-Road 25' wide,
West- Plot No. 137.
Area- 182.44 Sq.yards.

उक्त सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य 01.00 करोड रू निर्धारित किया जाता है। अतः सम्पत्ति की नीलामी के लिए नीलामीकर्ता अधिवक्ता श्री ...शशि शंकर शर्मा....... मोबाईल न. ...9414456348...... को नियुक्त किया जाता है। नीलामीकर्ता अधिवक्ता की फीस नीलामी राशि या विकय उद्घोषणा की राशि जो भी दोनो में से कम हो, का आधा प्रतिशत अथवा अधिकतम पन्द्रह हजार रू. तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के विवेकानुसार तय की जायेगी। यदि किसी कारणवश नीलामी की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो

वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण,
जयपुर

पाती है तो नीलामीकर्ता अधिवक्ता के कार्य एवं व्यवहार को देखते हुए उनकी अधिकतम फीस पॉच हजार रू. निर्धारित की जा सकेगी। नीलामीकर्ता अधिवक्ता को निर्देश दिए जाते हैं कि वह नीलामी से पूर्व आरक्षित राशि का 10 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के नाम से धरोहर राशि के रूप में प्राप्त करेगे।

इसके साथ ही नीलामीकर्ता अधिवक्ता एवं प्रमाणपत्रधारी बैंक को निर्देश दिए जाते हैं कि स्पॉट नोटिस की फोटोग्राफी व जिस दिन नीलामी होती है, उस दिन की पूरी प्रकिया की वीडियोग्राफी भी करे। यदि नीलामी प्रकिया में किसी प्रकार के व्यावधान उत्पन्न होने की आशंका हो अथवा मौके पर शांति भंग होने की आशंका हो तो नीलामीकर्ता अधिवक्ता / बैंक के अधिकारी सम्बन्धित पुलिस थाने से नीलामी प्रकिया सुचारू रूप से चलाने हेतु पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते है लिपिक को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इस सम्बंध में नीलामीकर्ता अधिवक्ता को जारी शर्तो में इस आशय का नोट अंकित करे। बैंक विकय उदघोषणा तीन दिवस में जारी करावे एवं विकय उदघोषणा का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर अथवा अन्य दैनिक प्रकाशित होने वाले वृहद प्रसारित (Wide Circulated) समाचार पत्र (हिन्दी भाषा) में कराया जावे एवं सर्विस पूर्ण होने का शपथ पत्र नीलामी से पूर्व अधिकरण में प्रस्तुत करे। बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वे नीलामी उदघोषणा का प्रचार एवं प्रसार ड्रम बजाकर, माईक द्वारा तथा पम्पलेट बंटवाकर करे । विकय उदघोषणा प्रपत्र की एक प्रति निर्णीत ऋणी को नीलामी के 30 दिवस पूर्व रजिस्टर्ड डॉक से भेजी जावे। आदेश की निःशुल्क प्रति बैंक एवं नीलामीकर्ता अधिवक्ता को वास्ते पालनार्थ उपलब्ध कराई जावे।

नीलामी हेतु निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती है :–

1	कोर्ट नोटिस	दिनांक 25.11.2014
2	स्पॉट नोटिस	दिनांक 28.11.2014 (बैंक द्वारा)
3	नीलामी	दिनांक 05.01.2015

पत्रावली रिपोर्ट होकर दिनांक 06.01.2015 को प्रस्तुत हो।

13/11/14
वसूली अधिकारी–I
वसूली अधिकरण,
जयपुर

DRT JAIPUR
Certified Free Copy
13/11/14
19/11/14
1422 19/11/14
20/11/14
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण
जयपुर